कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा)
(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)
तीसरी-चौथी मंजिल, एनसीयूआई बिल्डिंग, 3, सिरी संस्थानिक क्षेत्र, अगस्त क्रांति मार्ग,
हौज़ खास, नई दिल्ली-110016

व्यापार सूचना सं.: एपीडा-सीआरएल/49/2025-सीडी
दिनांक: 01 जून 2026

वर्ष 2025-26 हेतु टैरिफ दर कोटा (टी.आर.क्यू.) के अंतर्गत यूरोपीय संघ को चीनी निर्यात
(अक्टूबर 2025 से सितंबर 2026)

सार्वजनिक सूचना संख्या 18/2025-2026, दिनांक 01.08.2025 के अनुसार, वर्ष 2025-26 (अक्टूबर, 2025 से सितंबर, 2026) के लिए टैरिफ दर कोटा (टी.आर.क्यू.) के अंतर्गत यूरोपीय संघ को **5841 मीट्रिक टन** चीनी की मात्रा का आवंटन, अधिसूचना संख्या 3/2015-20 दिनांक 20.04.2015 और अधिसूचना संख्या 20/2015-20 दिनांक 07.09.2015 द्वारा अधिसूचित रिपोर्टिंग आवश्यकता के बाद, विदेश व्यापार महानिदेशालय (डी.जी.एफ.टी.) वाणिज्य विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2025-26 के लिए टी.आर.क्यू. के अंतर्गत यूरोपीय संघ को चीनी के निर्यात के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुमति दी गई है:

(i) यह कोटा कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा), नई दिल्ली द्वारा संचालित किया जाएगा।

(ii) यदि आवश्यक हो, तो यूरोपीय संघ को चीनी के अधिमान्य निर्यात के लिए मूल प्रमाण पत्र, पात्र संस्था और मात्रा के संबंध में एपीडा की अनुशंसा पर, विदेश व्यापार के अतिरिक्त महानिदेशक, मुंबई द्वारा जारी किया जाएगा। चीनी के यूरोपीय संघ को निर्यात हेतु यदि कोई अन्य प्रमाणीकरण आवश्यकताएँ विशेष रूप से निर्धारित की गई हों, तो वे पूर्ववत रूप से लागू रहेंगी एवं उनका अनुपालन अनिवार्य होगा।

(iii) निर्यातकों को वास्तविक निर्यात का विवरण (अर्थात मात्रा, मूल्य, गंतव्य, विदेशी खरीददारों का नाम और पता आदि) एपीडा, नई दिल्ली को प्रस्तुत करना होगा।

2. तदनुसार, टी.आर.क्यू. के अंतर्गत भारत से यूरोपीय संघ को चीनी निर्यात हेतु **540.05 मीट्रिक टन** कोटा आवंटित करने हेतु निर्यातकों से निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं। टी.आर.क्यू. के अंतर्गत यूरोपीय संघ को चीनी निर्यात हेतु कोटा आवेदन/प्राप्त करने के संबंध में निम्नलिखित दिशानिर्देश निर्धारित किए गए हैं:

2.1 अनुलग्नक-I में दिए गए प्रारूप के अनुसार कोटा प्राप्त करने के लिए निविदाएं एपीडा, नई दिल्ली में 10 जून 2026 (दोपहर 2 बजे) तक प्राप्त की जाएंगी तथा उसी दिन दोपहर 3.30 बजे इच्छुक आवेदकों की उपस्थिति में खोली जाएंगी। निविदा को सीलबंद लिफाफे में, **"टी.आर.क्यू. योजना 2025-26 के अंतर्गत यूरोपीय संघ को चीनी निर्यात हेतु कोटा प्राप्त करने हेतु निविदा"** अंकित कर, निम्नलिखित पते पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए:

श्रीमती विनीता सुधांशु, महाप्रबंधक,
एपीडा,
तीसरी मंजिल, एनसीयूआई बिल्डिंग,
3, सिरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, हौज खास, नई दिल्ली-110016

2.2 जांच के बाद निर्णय लिया जाएगा और 15 कार्य दिवसों के भीतर पंजीकरण-सह-आवंटन-प्रमाणपत्र (आर.सी.ए.सी.) जारी किया जाएगा। निर्धारित समयानुसार आर.सी.ए.सी. जारी करने की सुगमता हेतु, चयनित बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे अनुलग्नक-I के साथ अपेक्षित दस्तावेज संलग्न करें, अन्यथा बोली अस्वीकृत हो जाएगी।

2.3 पात्रता मापदंड

(क) निर्यातक के पास वैध आई.ई.सी. कोड हो।

(ख) निर्यातक को पिछले तीन वर्षों (2022-23, 2023-24, 2024-25) का चीनी व्यापार में सीए प्रमाणित टर्नओवर प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।

पिछले तीन वर्षों में चीनी व्यापार में औसत कारोबार बोली(यों) द्वारा अनुरोधित आवंटन से तीन गुना होना चाहिए।

(ग) मान्य प्रोफार्मा चालान/अनुबंध उस आयातक के साथ दर्ज किया गया हो जिसे सक्षम प्राधिकरण द्वारा आयात लाइसेंस जारी किया गया हो।

(घ) आयातक संस्था को यूरोपीय संघ के सक्षम प्राधिकरण द्वारा जारी आयात लाइसेंस प्राप्त हो गया हो।

(ङ) निर्यातक को किसी भी सरकारी संगठन द्वारा काली सूची में न डाला गया हो। अनुलग्नक-V के अनुसार घोषणा प्रस्तुत करनी होगी।

2.4 "यूरोपीय संघ को चीनी निर्यात कोटा के आवंटन हेतु निविदा" लिखे लिफाफे में अनुलग्नक-I के साथ निम्नलिखित दस्तावेज 10 जून 2026 को या उससे पहले एपीडा के दिल्ली कार्यालय में अनिवार्यतः जमा किए जाने चाहिए।

(क) वैध आई.ई.सी. कोड की प्रतिलिपि

(ख) पिछले तीन वर्षों (2022-23, 2023-24, 2024-25) का चीनी व्यापार में टर्नओवर के संबंध में सीए का प्रमाण पत्र।

(ग) प्रोफार्मा चालान/ आयातक के साथ किए गए अनुबंध की प्रतिलिपि, जिसे सक्षम प्राधिकरण द्वारा आयात लाइसेंस जारी किया गया हो।

(घ) यूरोपीय संघ के सक्षम प्राधिकरण द्वारा उस आयातक को जारी आयात लाइसेंस की प्रतिलिपि जिससे यूरोपीय संघ के निर्यातक को खरीद आदेश प्राप्त हुआ है।

(ङ) निर्यातक को किसी भी सरकारी संगठन द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया हो। अनुबंध-V के अनुसार घोषणा प्रस्तुत करनी होगी।

(च) बैंक गारंटी की मूल प्रति

बैंक गारंटी, अनुबंध II के अनुसार प्रारूप में संरचित वित्तीय संदेश प्रणाली (एस.एफ.एम.एस.) के माध्यम से भारतीय रुपए में जारी की जाएगी, जो आवेदित एफ.ओ.बी. मूल्य पर टीआरक्यू मात्रा के मूल्य के 5% के बराबर होगी। बैंक गारंटी 31 दिसंबर 2026 तक वैध होनी चाहिए तथा दावा तिथि 31 दिसंबर 2027 तक होनी चाहिए। एस.एफ.एम.एस. पुष्टिकरण के प्रयोजन हेतु एपीडा के बैंक खाते का विवरण निम्नानुसार हैं:

हिताधिकारी का नाम	**: एपीडा**
खाता संख्या	**: 50200008509205**
आई.एफ.एस.सी.	**: HDFC0000467**
बैंक का नाम	**: एच.डी.एफ.सी.**
शाखा	**: हौज खास, नई दिल्ली**

(छ) प्रसंस्करण शुल्क जमा करने की रसीद।

आवेदक/आवेदकों को आवेदित मात्रा के लिए 11.80 रुपये प्रति मीट्रिक टन (जीएसटी सहित) की दर से प्रसंस्करण शुल्क का भुगतान करना होगा। यह राशि नीचे दिए गए विवरण के अनुसार एपीडा बैंक खाते में ऑनलाइन जमा की जानी चाहिए:

खाता संख्या - 57022180304
आई.एफ.एस.सी.- SBIN0007407
बैंक का नाम – भारतीय स्टेट बैंक

(ज) आवेदन शुल्क एपीडा के पक्ष में नई दिल्ली में देय 23,600/- रुपये (जीएसटी सहित) प्रति बोली का डिमांड ड्राफ्ट के रूप में।

अनुच्छेद 2.4 (क से ज) में उल्लिखित दस्तावेज **अनुलग्नक-I** के साथ जमा किए जाएंगे।

2.5 उपलब्ध कोटा मात्रा को प्रति मीट्रिक टन अमरीकी डालर में निर्यात के लिए उच्चतम एफ.ओ.बी. मूल्य के आधार पर आवेदकों को आवंटित किया जाएगा। आवेदक द्वारा उच्चतम एफ.ओ.बी. मूल्य के लिए लागू की गई मात्रा उपलब्ध कोटा से कम होने की स्थिति में, मूल्य कोटेशन के क्रम में अन्य आवेदकों को शेष राशि आवंटित की जाएगी। यदि एक से अधिक आवेदक एक ही एफ.ओ.बी. मूल्य जमा करते हैं, तो उपलब्ध कोटा का आवंटन समर्थक अनुपात के आधार पर किया जाएगा।

2.6 प्रत्येक बोली के अनुसार आवंटन की अधिकतम सीमा 1,100 मीट्रिक टन टी.आर.क्यू. तक सीमित होगी। तथापि, किसी भी व्यक्तिगत बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत सभी बोलियों के सम्मिलित रूप में कुल टी.आर.क्यू. आवंटन की अधिकतम सीमा 2,900 मीट्रिक टन तक

सीमित रहेगी।

2.7 एक बार निविदा जमा कर दिए जाने तथा पंजीकरण-सह-आवंटन-प्रमाणपत्र (आर.सी.ए.सी.) जारी कर दिए जाने के बाद निर्यातक/आयातक के नाम तथा एफ.ओ.बी. मूल्य में परिवर्तन के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

2.8 आर.सी.ए.सी. 30 सितम्बर 2026 तक की वैधता अवधि के साथ एफ.ओ.बी. मूल्य के 5% की बैंक गारंटी के साथ जारी किया जाएगा।

आवेदक को यह सुनिश्चित करना होगा कि खेप आर.सी.ए.सी. की वैधता के भीतर यूरोपीय संघ तक पहुंच जाए।

2.9 निर्यात को अनुलग्नक III में प्रारूप के अनुसार जारी किए गए पूर्ण मात्रा के संबंध में विशिष्ट आर.सी.ए.सी. की मान्यता की समाप्ति के 15 दिनों के भीतर प्रत्येक आर.सी.ए.सी. के समक्ष वास्तविक निर्यात विवरण को प्रस्तुत करना होगा। आर.सी.ए.सी. की पूर्ण मात्रा में असमर्थता की स्थिति में एपीडा द्वारा बैंक गारंटी के रुप में जुर्माना लगाया जा सकता है।

2.10 निर्यातक को पिछले माह में किए गए निर्यात की मासिक स्थिति, अगले माह की 5 तारीख तक अनुलग्नक IV में दिए गए प्रारूप के अनुसार, वाणिज्यिक चालान, शिपिंग बिल और लदान बिल आदि जैसे सहायक दस्तावेजों के साथ एपीडा को सत्यापन हेतु प्रस्तुत करनी होगी।

****

अनुलग्नक – I

टी.आर.क्यू. के अंतर्गत यूरोपीय संघ को चीनी निर्यात के लिए कोटा प्राप्त करने हेतु निविदा

1	**सी.पी.पी. पोर्टल निविदा आई.डी.**	
2	आवेदक का नाम एवं पता	
3	आवेदक का नाम एवं पता	
4	एपीडा/एफ.आई.ई.ओ. पंजीकरण सं.	
5	आवेदित मात्रा मीट्रिक टन में	
6	एफ.ओ.बी. मूल्य यू.एस.डी./मीट्रिक टन में	
7	पिछले तीन वर्षों (2022-23, 2023-24, 2024-25) का चीनी व्यापार में सीए प्रमाणित टर्नओवर प्रमाण पत्र।	
8	बैंक गारंटी की राशि (आवेदित मात्रा के कुल एफ.ओ.बी. मूल्य का 5%)	
9	बैंक गारंटी का विवरण (बैंक गारंटी 31 दिसंबर 2026 तक वैध होनी चाहिए और दावा तिथि 31 दिसंबर 2027 तक होनी चाहिए।)	
10	आवेदन शुल्क एपीडा के पक्ष में नई दिल्ली में देय 23,600/- रुपये (जीएसटी सहित) प्रति बोली का डिमांड ड्राफ्ट के रूप में।	
11	आयातक का नाम एवं पता	
12	आयात लाइसेंस संख्या और वैधता की अवधि मात्रा (मीट्रिक टन में) जारीकर्ता प्राधिकरण	
13	भारत में शिपमेंट पोर्ट	
14	यूरोपीय संघ में गंतव्य पोर्ट	

टिप्पणी: **बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे सी.पी.पी. पोर्टल निविदा आई.डी. का उल्लेख करें।**

संलग्नक:

(i) सीए द्वारा प्रमाणित टर्नओवर प्रमाणपत्र
(ii) **अनुलग्नक II** के अनुसार बैंक गारंटी,
(iii) प्रोफार्मा चालान/ आयातक के साथ किए गए अनुबंध की प्रतिलिपि,
(iv) सक्षम प्राधिकरण द्वारा जारी आयात लाइसेंस की प्रतिलिपि
(v) प्रसंस्करण शुल्क की रसीद।
(vi) डिमांड ड्राफ्ट के रूप में आवेदन शुल्क ₹ 23,600/- (जीएसटी सहित)

घोषणा:

i. मैं/हम प्रमाणित करता/करती हूँ/करते हैं कि उपर्युक्त दी गई समस्त जानकारी हमारे ज्ञान के अनुसार सही है।
ii. मैं/हम एपीडा द्वारा जारी आर.सी.ए.सी. की वैधता के भीतर हमें आवंटित मात्रा का निर्यात करने का वचन देता/देती हूँ।
iii. मैं/हम प्रमाणित करता/करती हूँ/करते हैं कि हम यूरोपीय संघ की चीनी के संबंध में गुणवत्ता की आवश्यकताओं से अवगत हैं, जिसका निर्यात हमने टी.आर.क्यू. के अंतर्गत यूरोपीय संघ को करने का वचन दिया है और यह सुनिश्चित करेंगे कि हमारे द्वारा कोई अवमानक उत्पाद निर्यात न किया जाए।
iv. मैं/ हम जानता हूँ/जानते हैं कि वैधता अवधि की समयावधि के अन्दर आर.सी.ए.सी. के अनुसार एपीडा द्वारा आवंटित कोटा मात्रा की शिपमेंट न होने की स्थिति में, एपीडा को हमारे द्वारा प्रस्तुत प्रदर्शन/ बैंक गारंटी को जब्त करने का अधिकार होगा।

हस्ताक्षर-
नाम और पदनाम-
निर्यातक के प्राधिकारी हस्ताक्षरी

Annexure - II

Format for Performance/ Bank Guarantee (on Rs. 100/- Stamp Paper)

Subject: Bank Guarantee for Export of Sugar to EU under TRQ

WHEREAS the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority mentioned as APEDA hereinafter, through its Tender Notice No. dated ……has invited Tenders from the exporters for obtaining quota for export of sugar to EU under TRQ as per the conditions prescribed in the said Tender Notice, which terms and conditions we are fully aware and in know of, and whereas M/s. ……………………………………………the exporter, having their office at ……… have undertaken to export………… MT of Sugar to EU under TRQ at the FOB India price of USD ……per MT.

AND WHEREAS the exporter is required to furnish along with the Tender, Performance Bank Guarantee equivalent to 5% of the total FOB value of the quantity applied for in Indian Rupees in terms of the above said Tender Notice.

AND WHEREAS the exporter is required to export of Sugar within period of the validity given in the Registration-cum-Allocation Certificate (RCAC) to be issued by APEDA.

1. We (name and address of a Scheduled Indian Bank) hereinafter called "THE BANK" do hereby undertake and promise to pay the APEDA, New Delhi an amount of Rs. …………….(Rupees…………………………….) in the event of failure of the exporter (i) to fulfill any condition of the RCAC or (ii) to fulfill the obligation to export the quantity allocated to M/s. …………..within the stipulated time or according to the prescribed terms and conditions whether the shipment is in part or full.

2. Our liability under this guarantee shall fall due immediately on a demand made in this regard by APEDA within the prescribed period and notwithstanding any dispute or objection raised by the exporter regarding their liability to pay for non-performance of the commitments made by the said exporter. We do hereby undertake and promise to pay without demur and on demand by APEDA, New Delhi, the sum of Rs……………………….. (Rupees ……………………..) in respect of which the said exporter fails to fulfill these commitments and that such claim will be restricted upon the full value of this guarantee i.e. Rs. ………….(Rupees…………….………………) if the export shipment is not completed in full.

3. We,.. Bank further agree that this guarantee shall remain in full force and effect with validity up to 31st December 2026 with claim date up to December 31, 2027 by exporter for issue of the RCAC by APEDA and that it shall continue to be enforceable till all the amounts due to APEDA have been fully paid, discharged and Chairman, APEDA or his any authorized representative certifies that the terms and conditions of the said Order have been fully and properly carried out by the said exporter. Unless a demand or claim under this guarantee is made on us in writing up to 6 months from the date of expiry of this guarantee in respect of non- performance regarding export of Sugar to EU under TRQ, we shall be discharged from all liabilities under this guarantee further.

4. We, the …………………………………………………… Bank further agree that the APEDA shall have the fullest liberty without consent and without affecting in any manner our obligation hereunder, to vary any of the terms and conditions of the said Tender Notice from time to time to postpone for any time or from time to time any of the powers exercisable by the APEDA against the said exporter and to forebear or enforce any of the terms and conditions of the said Order and we shall not be relieved from our liability by reasons of any such variation or extension being granted to the said exporter or forbearance act of omission on the part of the APEDA to the said exporter or by any such matter or thing whatsoever which under the law relating to sureties but for the said reservation would relieve us from the liability.

5. We, …………………………………Bank further agree that the decision of Chairman, APEDA as to the default on the part of the exporter and the amount payable by us shall be final and binding on us and on demand made by the APEDA we shall immediately and without demur within 10 days pay the same to the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority, 3rd Floor, NCUI Building, 3 Siri Institutional Area, August Kranti Marg,

किसी भी भ्रम अथवा संदेह की स्थिति में अंग्रेजी संस्करण मान्य होंगे|

Hauz Khas, New Delhi – 110016 , by way of Demand Draft/Pay Order drawn in its favour.

6. We shall be relieved of and discharged from all liabilities under this guarantee only on the exporter having fulfilled all his obligations and exported the entire quantity of RCAC by the last day of shipment as prescribed by the APEDA in this particular case and submitted satisfactory proof of shipment and realization of export value by the Bank to the full satisfaction of the APEDA in this regard within the prescribed time whose decision in this connection shall be final and binding.

7. This Bank Guarantee has been issued through Structured Financial Messaging System (SFMS).

8. This guarantee will not be revoked by any change in the constitution of the Bank and/or the exporter.

Dated at ……………..…………….. this ………day of…………….. 2025.

In presence of

____

(Signature of the Guarantor)

Signature of Applicant(s):
(to be signed by the Proprietor/Managing Director/ Authorized Signatory/Managing Partner of the Firm showing his Designation as such)

Date:

Seal

टी.आर.क्यू. के अंतर्गत यूरोपीय संघ को चीनी के निर्यात के विवरण प्रस्तुति का प्रारूप

1. निर्यातक का नाम:
2. एपीडा/एफ.आई.ई.ओ. पंजीकरण सं.:
3. आर.सी.ए.सी. सं. और तिथि:

मीट्रिक टन में मात्रा	प्राप्तकर्ता/ आयातक का नाम	लदान बिल की तिथि	एफ.ओ.बी. मूल्य (यू.एस. डॉलर में)	शिपमेंट पोर्ट	गंतव्य पोर्ट	यूरोपीय संघ के सीमा शुल्क विभाग द्वारा जारी आयात घोषणा का विवरण अनुमति तिथि

संलग्नक:

i) सीमा शुल्क विभाग द्वारा अनुमोदित मूल आर.सी.ए.सी.

ii) चालान की प्रतिलिपि

iii) लदान बिल, शिपिंग बिल

iv) सक्षम प्राधिकरण द्वारा जारी आयात लाइसेंस की प्रतिलिपि

v) यूरोपीय संघ के देशों द्वारा जारी आयात घोषणा।

प्राधिकारी हस्ताक्षरी:

नाम एवं पद:
तिथि:
स्थान:

टी.आर.क्यू. के अंतर्गत यूरोपीय संघ को चीनी निर्यात की मासिक स्थिति का प्रारूप

1. निर्यातक का नाम:
2. एपीडा/एफ.आई.ई.ओ. पंजीकरण सं.:
3. आर.सी.ए.सी. सं. और तिथि:

मात्रा (मीट्रिक टन में)	**प्राप्तकर्ता/ आयातक का नाम**	**लदान बिल की तिथि**	**एफ.ओ.बी. मूल्य (यू.एस. डॉलर में)**	**शिपमेंट पोर्ट**	**गंतव्य पोर्ट**	**यूरोपीय संघ के सीमा शुल्क विभाग द्वारा जारी आयात घोषणा अनुमति तिथि**

संलग्नक: यूरोपीय संघ के देशों द्वारा जारी आयात घोषणा की प्रतिलिपि।

प्राधिकारी हस्ताक्षरी:

नाम एवं पद:

तिथि:

स्थान:

अनुलग्नक- V

(निर्यातक के लेटर हेड पर)

प्रति

महाप्रबंधक,
एपीडा,
नई दिल्ली-110016

विषय: काली सूची में सम्मिलित न होने के संबंध में घोषणा

महोदय/महोदया जी,

वर्ष 2025-26 के लिए टैरिफ दर कोटा (टी.आर.क्यू.) के अंतर्गत यूरोपीय संघ को चीनी निर्यात के लिए निविदा के संदर्भ में, दिनांक ……….. मैं, ……… (प्राधिकारी हस्ताक्षरी का नाम और पदनाम) यह घोषणा और पुष्टि करता/ करती हूं कि ………. … (निर्यातक का नाम) को बोली जमा करने की तिथि तक असंतोषजनक प्रदर्शन, भ्रष्ट, धोखाधड़ी या किसी भी अनैतिक व्यावसायिक व्यवहार या किसी अन्य कारणों से केंद्र सरकार / राज्य सरकार / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा भविष्य की बोलियों में भाग लेने से काली सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है या अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।

हस्ताक्षर
(प्राधिकारी हस्ताक्षरी का नाम)
पद:
निर्यातक की मुहर

तिथि:
स्थान: